फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 165/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/168) **श्रीमती शमशाद बेगम बनाम तहसीलदार सराड़ा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.04.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री भगवतसिंह शक्तावत - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. **श्रीमती शमशाद बेगम पत्नि श्री निसार खान, गावं चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **राज्य जरिये तहसीलदार सराड़ा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर, प्रकरण संख्या 01/2023, दिनांक 12.04.2023 (बउनवानी श्रीमती शमशाद बेगम बनाम तहसीलदार सराड़ा)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 15.04.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर, प्रकरण संख्या 01/2023, दिनांक 12.04.2023 (बउनवानी श्रीमती शमशाद बेगम बनाम तहसीलदार सराड़ा) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी श्रीमती शमशाद बेगम द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के स्वामित्व व आधिपत्य की ग्राम चावण्ड भू.अ.नि. केजड की आराजी नम्बर 2727 रकबा 0.2200 हे. भूमि स्थित है जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा संपरिवर्तन करने के पश्चात् राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 5720/2727 रकबा 0.0500 हे. भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त व आराजी नम्बर 5721/2727 रकबा 0.1700 हे. भूमि किस्म आबादी में दर्ज की गई है। अपील में वर्णित भूमि में संपरिवर्तन के पांच वर्ष पूर्व से अपीलाण्ट के पुत्रों के तीन पक्के मकान बने हुए है व एक मकान के प्लॉट पर मकान बनाने हेतु पत्थरों व ईटों की पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। अपीलाण्ट ने माह जून 2019 में हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी की आराजी नम्बर 2727 रकबा 0.2200 हे. भूमि को आबादी में संपरिवर्तित कराने हेतु संपर्क किया था। अपीलाण्ट अनपढ होकर ग्रामीण परिवेश की महिला है जिसका नाजायज लाभ उठाकर हल्का पटवारी द्वारा भूमाफियाओं से मिलीभगतकर अपीलाण्ट की भूमि से आगे की भूमि के खातेदारों को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए अपीलाण्ट के स्वामित्व की आराजी नम्बर 2727 में से 0.0500 हे. भूमि को अपीलाण्ट की जानकारी के बिना अपीलांट के हस्ताक्षर खाली कागजों पर करा कर व मौका रिपोर्ट दिनांक 13.06.2019 में संपरिर्तित की जाने वाली भूमि को निर्माण रहित बताकर आनन फानन में दिनांक 12.06.2019 को आवेदन करना बताकर दिनांक 13.06.2019 को मौका रिपोर्ट बनाना बता 14.06.2019 को रेस्पोडेन्ट के पक्ष में समर्पित करवा दी गई है जो अपीलाण्ट के अधिकारों के मुकाबले बेअसर व शून्य प्रभावी है। अधीनस्थ तहसीलदार सराडा द्वारा आक्षेपित समर्पण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 165/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/168) **श्रीमती शमशाद बेगम बनाम तहसीलदार सराड़ा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश दिनांक 14.06.2019 पारित करने से पूर्व धारा 55 आर.टी. एक्ट अनुसार समर्पण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणितकृत होना आवश्यक है समर्पण पत्र पर समर्पणकर्ता के व गवाहान के हस्ताक्षर व दिनांक भी अंकित नही है तथा कथित समर्पित भूमि 0.05 हेभूमि का कब्जा भूमिधारी द्वारा प्राप्त करना भी आवश्यक है किन्तु तहसीलदार सराडा द्वारा अपीलांट के पति निसार खान को 91 एलआरएक्ट के नोटिस दिनांक 18.11.2022 को जारी किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार भूमिधारी द्वारा उक्त 0.05 हे. भूमि का अपीलांट से कभी कब्जा प्राप्त नहीं किया गया था जिससे आक्षेपित समर्पण आदेश काबिल निरस्त के है। अपीलांट को रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के पति निसार खान को प्रेषित नोटिस अंतर्गत धारा 91 एलआरएक्ट का दिनांक 18.11.2022 को पेशी पर उपस्थित होने बाबत् मिलने पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में जानकारी की तो अपीलांट को अपीलांट की खातेदारी की 0.0500 हे. भूमि रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज होने की जानकारी हुई जिस पर संपूर्ण पत्रावली की नकल ली गई। नकल मिलते ही आक्षेपित आदेश की जानकारी होने पर कानूनी राय लेकर अविलम्ब अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर तहसीलदार सराडा का आक्षेपित आदेश दिनांक 14.06.2019 निरस्त फरमाये जाने निवेदन किया गया।

- अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी की उक्त अपील को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 12.04.2023 को प्रसारित किया।

उक्त निर्णय दिनांक 12.04.2023 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 96 दिनांक 05.01.2024 के क्रम में हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिस दर्ज रजिस्टर पर पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 12.04.2024 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का भी प्रस्तुत किया गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलांट व संपरिवर्तन कार्यवाही से पूर्व ही यह तय हुआ था कि आराजी नम्बर 2727 के दक्षिण पूर्व दिशा में होकर रास्ता बनाना था किन्तु हल्का पटवारी ने नक्शा ट्रेस में उत्तर पश्चिम दिशा के मध्य में होते हुए दक्षिण दिशा में रास्ता दर्ज कर गलत समर्पण करा लिया गया है, तहसीलदार सराडा द्वारा आक्षेपित समर्पण आदेश दिनांक 14.06.2019 पारित करने से पूर्व धारा 55 आर.टी. एक्ट अनुसार समर्पण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणितकृत होना आवश्यक है समर्पण पत्र पर समर्पणकर्ता के व गवाहान के हस्ताक्षर व दिनांक भी अंकित नही है तथा कथित समर्पित भूमि 0.05 हे. भूमि का कब्जा भूमिधारी द्वारा प्राप्त करना भी आवश्यक है, अतः गलत रूप से अपनी भूमि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में समर्पित किये जाने वाले आदेश को निरस्त किया जाने का निवेदन अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को अनदेखा कर दस्तावेजों का विवेचन किये बिना एवं बिना विनिश्चय के आक्षेपित निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी की संपरिवर्तित भूमि तक पूर्व में ही सड़क बनी हुई जिससे कानूनन अपीलार्थी को अपनी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 165/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/168) **श्रीमती शमशाद बेगम बनाम तहसीलदार सराड़ा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि को संपरिवर्तन कराने के लिये रास्ते हेतु भूमि समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन प्रस्तुत किये गये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किये गये विनिश्चय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा-75 एलआर एक्ट के अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसके प्रकरण संख्या 04/2023 हुए। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा संपरिवर्तत आदेश दिनांक 03.07.2019 को निरस्त करने हुए निवेदन किया गया, जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 30.06.2023 पारित किया गया। चूंकि जब मूल संपरिवर्तत आदेश दिनांक 03.07.2023 की अस्तित्व/प्रभाव में नहीं रहा, इसलिए तथाकथित समर्पण को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय दिनांक 12.04.2023 एवं तहसीलदार सराड़ा का सर्मपण आदेश क्रमांक राजस्व/2019/176-178 दिनांक 14.06.2019 को निरस्त फरमाया जावें। **प्रत्यर्थी की और से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित फरमाये जाने का निवेदन किया।** **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।** दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज यानि निर्णय की सच्ची प्रति है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा आराजी नम्बर 2727 रकबा 0.2200 हे. भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा संपरिवर्तित करने के पश्चात राजस्व रेकार्ड में आ.न. 5720/2727 रकबा 0.0500 हे. बिलानाम गैर काबिल काश्त एवं आराजी नम्बर 5721/2727 रकबा 0.1700 हे. भूमि किस्म आबादी दर्ज की गई है। उक्त भूमि को अपीलाण्ट द्वारा संपरिवर्तन की कार्यवाही के दौरान भूमि समर्पण हेतु आवेदन किया जिस पर तहसीलदार सराडा द्वारा कार्यवाही करते हुए संपरिवर्तन एवं समर्पण की कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट का मुख्य आक्षेप रहा है है कि सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.2200 है. के संपरिवर्तन का निवेदन किया गया था, जबकि पटवारी हल्का द्वारा अन्य खातेदार को नाजायज लाभ दिलाने के लिऐ 0.0500 है. भूमि को समर्पण करा दी गई है। यहा लेख किया जाना आवश्यक है कि उक्त सर्मपण को निरस्त कराने बाबत अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील पेश की गई जिसे आक्षेपित निर्णय दिनांक 12.04.2023 से निरस्त कर दिया गया और निर्णय में किये गये विवेचन के आलोक में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष मूल संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कराने बाबत अपील प्रस्तुत की गई, जिसके प्रकरण संख्या 04/2023 हुए। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 30.06.2023 प्रसारित किया गया, जिसके प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नानुसार है-	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 165/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/168) **श्रीमती शमशाद बेगम बनाम तहसीलदार सराड़ा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मूल प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलाण्ट द्वारा आराजी नम्बर 2727 रकबा 0.2200 हे. भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा संपरिवर्तित करने के प्श्चात राजस्व रेकार्ड में आ.न. 5720/2727 रकबा 0.0500 हे. बिलानाम गैर काबिल काश्त एवं आराजी नम्बर 5721/2727 रकबा 0.1700 हे. भूमि किस्म आबादी दर्ज की गई है। उक्त भूमि को अपीलाण्ट द्वारा संपरिवर्तन की कार्यवाही के दौरान भूमि समर्पण हेतु आवेदन किया जिस पर तहसीलदार सराडा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संपरिवर्तन एवं समर्पण की कार्यवाही की गई। अपीलाण्ट का तर्क है कि सम्पूर्ण भूमि रकबा 0.2200 है. के संपरिवर्तन का निवेदन किया गया था, जबकि पटवारी हल्का द्वारा अन्य खातेदार को नाजायज लाभ दिलाने के लिऐ 0.0500 है. भूमि को समर्पण करा दी गई है। अपीलाण्ट द्वारा संपरिवर्तन आदेश की शर्तो की पालना नहीं करना बताया एवं संपरिवर्तन आदेश को निरस्त कराना चाहता है। अपीलाण्ट द्वारा संपरिवर्तन के दौरान संपरिवर्तन हेतु राजकोष में जमा कराया शुल्क की मांग नहीं करने पर सहमति व्यक्त की है। चूंकि अपीलाण्ट स्वंय उक्त संपरिवर्तन आदेश को राजको-ा में जमा राशि की बिना मांग किये निरस्त कराना चाहता है। अपीलाण्ट ने स्वंय अपनी कृषि भूमि को संपरिवर्तन कराया जिसे पुनः कृषि भूमि दर्ज कराना चाहता है। मौके पर संपरिवर्तन की शर्तो की पालना नहीं करना बताया है एसी स्थिति में पुनः अपीलाण्ट की भूमि को कृषि भूमि किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार की जाकर तहसीलदार सराडा द्वारा प्रकरण संख्या 19/2019 संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राजस्व/संपरिवर्तन /2019/209-11 दिनांक 03.07.2019 को निरस्त किया जाता है एवं संपरिवर्तन से पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर मौजा चावण्ड पटवार हल्का चावण्ड की आ.न. 2727 रकबा 0. 2200 है. सम्पूर्ण भूमि को पूर्ववत कृषि भूमि दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

उक्त निर्णय की सच्ची प्रतिलिपि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी के साथ पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा उपरोक्त निर्णय दिनांक 30.06.2023 से अपीलार्थी की खातेदारी भूमि मौजा चावण्ड पटवार हल्का चावण्ड की आ.न. 2727 रकबा 0. 2200 है. सम्पूर्ण भूमि को पूर्ववत कृषि भूमि दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया गया। उक्त आक्षेपित निर्णय दिनांक 12.04.2023 एवं तहसीलदार सराड़ा का सर्मपण आदेश क्रमांक राजस्व/2019/176-178 दिनांक 14.06.2019 स्वतः निरस्तनीय एवं निप्रभावी है। **परिणामतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 12.04.2023 एवं तहसीलदार सराड़ा का सर्मपण आदेश क्रमांक राजस्व/2019/176-178 दिनांक 14.06.2019 अपास्त किया जाता है।** तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर